(C)

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.25(3)चिस्वा/2/2014

जयपुर दिनांक 8-5-15

निदेशक (जनस्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ,
राज. जयपुर।

विषयः–बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 113.4 में राज्य के 150 से अधिक शैय्याओं वाले 7 जिला चिकित्सालयों में नये Blood component separation unit की स्थापना की स्वीकृति बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट घोषणा वर्ष 2015–16 के बिन्दु संख्या 113.4 के क्रम में राज्य के 150 से अधिक शैय्याओं वाले निम्न 7 जिलो चिकित्सालयो में नए **Blood component separation unit** की स्थापना करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं.	जिले का नाम	चिकित्सालय का नाम
1.	भरतपुर	जिला चिकित्सालय,ब्लड बैंक, भरतपुर
2.	चुरू	जिला चिकित्सालय,ब्लड बैंक, चुरू
3.	हनुमानगढ़	जिला चिकित्सालय,ब्लड बैंक, हनुमानगढ़
4.	बारां	जिला चिकित्सालय,ब्लड बैंक, बारां
5.	भीलवाडा	जिला चिकित्सालय,ब्लड बैंक, भीलवाडा
6.	पाली	जिला चिकित्सालय,ब्लड बैंक, पाली
7.	सीकर	जिला चिकित्सालय,ब्लड बैंक, सीकर

उक्त कार्य हेतु मशीनरी एवं उपकरण हेतु निम्न बजट मदों में राशि रूपये 560.00 लाख की सीमान्तर्गत व्यय करने की निम्न शर्तो पर वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

Budget Head (Plan)	Rs.in lacs
2210–01–110–(03)–[01]–18 METP	320.00
2210–01–789–(01)–[00]–18 METP	160.00
2210–01–796–(02)–[00]–18 METP	80.00
Total	560.00

1. उपकरण latest Technology के क्रय किए जाए।
2. विभाग द्वारा राशि का व्यय राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 में पूर्ण पालना सुनिश्चित करावें।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी क्रमांक 151500567 दिनांक 06.05.15 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

–sd–
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. निजी सचिव,प्रमुख शासन सचिव,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान,जयपुर।
4. सयुंक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–1)/बजट/आयोजना) विभाग।
5. परियोजना निदेशक राज.एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर
6. वित्तिय सलाहकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
7. प्रभारी सर्वररूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि इस आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
8. एकल पत्रावली डी.431 दिनांक 30.04.15
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक लेखाधिकारी